**दिनांक 31.10.2017 को जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, प०सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में आहुत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।**

उपस्थिति पंजी में संधारित।

दिनांक 31.10.2017 को जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के प्रबंधकीय समिति की बैठक जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, प०सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में नव निर्मित समाहरणालय में की गयी। जिसमें DMFT मद से क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गयी एवं खनिज उत्खन्न से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी।

दिनांक 22.08.2017 को सम्पन्न जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के शासी परिषद/ न्यास परिषद की बैठक में DMFT मद में प्राप्त राशि का उपयोग प्रक्षेत्रवार करने हेतु सहमति प्रदान किया गया है। जिसके अनुसार **पेयजल प्रक्षेत्र पर 70%, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर 10%, शिक्षा प्रक्षेत्र पर 10% एवं आधारभूत संरचना पर 10% व्यय** किया जाना है।

माननीय सांसद श्री लक्ष्मण गिलुवा, माननीय विधायक श्रीमती जोबा मांझी, माननीय विधायक श्री निरल पुरती, माननीय विधायक श्री दीपक बिरूवा, माननीय विधायक श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय विधायक श्री शशि भूषण सामड, माननीय विधायक श्री दशरथ गागराई, जिला परिषद अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य एवं अन्य से प्राप्त अनुशंसित योजनाओं की स्वीकृति प्रक्षेत्रवार तय किये गये व्यय के तहत प्रदान करने पर स्वीकृति दी गयी।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रक्षेत्रवार प्रावधानित राशि से अधिक राशि की योजनाऐं होने पर माननीय सांसद/ विधायकगणों से उनकी प्राथमिकतायें प्राप्त कर योजनाओं की स्वीकृति उपरान्त योजनाओं का क्रियान्व्यन कराने का निर्णय लिया गया।

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट मद से संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन जिले के इच्छुक सभी कार्यकारी एजेन्सियों से कराने का निर्णय लिया गया ताकि कार्य का बोझ किसी एक एजेन्सी पर न पड़े। इसी कम में अवर क्षेत्रीय प्रबंधक झालको, चाईबासा के माध्यम से भी कराने की स्वीकृति प्रबंधकीय समिति द्वारा प्रदान किया गया।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या 1334 दिनांक 19.12.2017 के आलोक में **जगन्नाथपुर प्रखण्ड अन्तर्गत शौचालय निर्माण** हेतु कार्यालय पत्रांक 1144 दिनांक 13.10.2017 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसकी घटनोतर स्वीकृति प्रबंधकीय समिति द्वारा प्रदान किया गया।

विभागीय अधिसूचना, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 357 दिनांक 03.02.2017 के कंडिका iv के प्रावधान के अनुसार नोवामुण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत **गुवा बोकना नाला से जामदा मुख्य पथ तक पथ का सुद्धढ़िकरण एवं चौड़ीकरण योजना जिसकी प्राक्कलित राशि 1,76,12,100/–** (एक करोड़ छिहतर लाख बारह हजार एक सौ) रू० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रबंधकीय समिति द्वारा प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

| | | |
|---|---|---|
| निदेशक, डी.आर.डी.ए.,<br>प०सिंहभूम, चाईबासा। | उप विकास आयुक्त,<br>–सह–सचिव, DMFT<br>प०सिंहभम, चाईबासा। | जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,<br>–सह–अध्यक्ष, DMFT<br>प०सिंहभम, चाईबासा। |

ज्ञापांक : 1336(वि०)/DMFT, दिनांक : 17 / 11 /2017....

प्रतिलिपि : सभी संबंधित ........................................................................ को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, डी.आर.डी.ए.,
प०सिंहभूम, चाईबासा।

उप विकास आयुक्त,
–सह–सचिव, DMFT
प०सिंहभूम, चाईबासा।

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
–सह–अध्यक्ष, DMFT
प०सिंहभूम, चाईबासा।